भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3762**
दिनांक 12.08.2025 को उत्तरार्थ

## तमिलनाडु में ई-गवर्नेंस सेवा

3762. श्री थरानिर्वेथन एम. एस.

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) का ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु सहित राज्य-वार इस परियोजना के अंतर्गत शामिल की गई पंचायतों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) तमिलनाडु में ई-पंचायत एमएमपी के कार्यान्वयन के लिए कुल कितना वित्तीय आवंटन किया गया है और डिजिटलीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और पंचायत कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;

(घ) प्रमाण-पत्र, अनुमोदन और अन्य प्रशासनिक कार्यों जैसी सेवाओं की ऑनलाइन सुपुर्दगी सहित पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) ई-पंचायत प्रणाली में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रणाली का रखरखाव कैसे किया जा रहा है?

## उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

**(क) और (ख)** ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) का उद्देश्य देश भर में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में ई-गवर्नेंस को सशक्त बनाना और जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी और शासन की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, कार्य कुशल और प्रभावी बनाना है। इस परियोजना का उद्देश्य पंचायतों के आंतरिक कार्यप्रवाह और मुख्य कार्यों को स्वचालित करना तथा उनके कामकाज में अधिक नागरिक-केन्द्रितता लाना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, पंचायती राज मंत्रालय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है। इस पहल के तहत प्रमुख एप्लिकेशन ई-ग्रामस्वराज है, जो ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यों के नियोजन, बजटन, लेखांकन और निगरानी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके अतिरिक्त, ई-ग्रामस्वराज को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत करने से विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करना संभव हुआ है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि हुई है।

पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत, तमिलनाडु सहित राज्यवार ई-ग्रामस्वराज अपनाने की स्थिति का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

**(ग)** ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के अंतर्गत, राज्यों को कोई प्रत्यक्ष धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इसके बजाय, ई-पंचायत एप्लिकेशन के रखरखाव हेतु केंद्रीय स्तर पर सहायता प्रदान करने के लिए नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज़ इन्कॉरपोरेटेड (एनआईसीएसआई) को धनराशि आवंटित की जाती है।

मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्राप्त योजना लागू की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सशक्त बनाना है। इसके तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) तथा अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान कर उनके नेतृत्व संबंधी शासन कौशल का विकास किया जाता है, जिससे ग्राम पंचायतें प्रभावी रूप से कार्य कर सकें। पंचायत मंत्रालय (MoPR) की ई-गवर्नेंस पहलों से संबंधित क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सीमित स्तर पर ग्राम पंचायत भवन, कंप्यूटर तथा ग्राम पंचायत भवन में सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के सह- स्थानीयकरण जैसी पंचायत अवसंरचना के निर्माण हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है।

संशोधित आरजीएसए के तहत पिछले तीन वर्षों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जारी की गई केंद्रीय हिस्सेदारी एवं उनके द्वारा किए गए व्यय का विवरण **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

**(घ)** संशोधित आरजीएसए के अंतर्गत, पंचायतों का डिजिटल सशक्तिकरण सेवा प्रदायगी, पारदर्शिता एवं प्रशासनिक दक्षता में सुधार प्रमुख क्षेत्र है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मंत्रालय द्वारा आरजीएसए के अंतर्गत ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) लागू किया जा रहा है, जिसने जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है।

ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन, जो ई-पंचायत एमएमपी का हिस्सा है, ने पंचायत स्तर पर डिजिटल योजना निर्माण, लेखांकन, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान की है। ई-ग्रामस्वराज का सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से एकीकरण, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को रियल-टाइम भुगतान सुनिश्चित करता है, जिससे धन प्रवाह निर्बाध रहता है और देरी कम होती है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा विकसित मेरी पंचायत जैसी एप्लिकेशनों ने पंचायत शासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से पंचायत की योजना, गतिविधियों और कार्यों की प्रगति संबंधी जानकारी जनता के लिए सुलभ हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, पंचायत निर्णय एक ऑनलाइन एप्लिकेशन है, जिसका उद्देश्य ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाना है।

इसके साथ ही, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सुगमता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय राज्यों को ग्राम पंचायत भवनों में कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) के सह-स्थितिकरण में सहयोग प्रदान कर रहा है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के साथ अभिसरण में लागू किया जा रहा है। सीएससी के सह- स्थानीयकरण के माध्यम से, पंचायतों को ग्रामीण नागरिकों को उनके द्वार पर ही विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया जा रहा है।

इन प्रयासों के फलस्वरूप जमीनी स्तर पर डिजिटल तकनीक के उपयोग में वृद्धि हुई है, योजना एवं लेखांकन में पारदर्शिता आई है, और पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई) की प्रमाण पत्र, अनुमोदन एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों जैसी ऑनलाइन सेवा प्रदायगी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

**(ड)** ई-ग्रामस्वराज जैसी डिजिटल पहलों के माध्यम से एकत्रित डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने व्यापक तकनीकी और प्रशासनिक उपाय अपनाए हैं। ये उपाय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों और भारत सरकार की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के अनुरूप हैं। एकत्रित डेटा की सुरक्षा के लिए, निम्नलिखित उपाय लागू किए गए हैं:

**1. डेटा का प्रसारण एवं मास्किंग (छिपाना):**

रिपोर्ट और डैशबोर्ड के माध्यम से प्रकाशित सभी डेटा को उचित रूप से मास्क किया जाता है, जिससे किसी भी व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी का प्रकटीकरण न हो।

**2. स्थिर डेटा की सुरक्षा:**

i. सर्वरों को फायरवॉल के पीछे सुरक्षित रखा जाता हैं, तथा उन पर सख्त पहुंच नियंत्रण (strict access control) लागू है।

ii. प्रवेश अनुमतियाँ भूमिका-आधारित होती हैं और इन्हें संचालन संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान किया जाता है।

iii. डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) और लॉगिन क्रेडेंशियल को हैश किये जाते है, अपरिवर्तनीय और किसी व्यक्ति द्वारा पठनीय न होने वाले स्वरूपों में संग्रहीत किए जाते हैं।

iv. पासवर्ड नीतियों को सख्ती से लागू किया जाता है, जिसमें हर 3 महीने में अनिवार्य रूप से पासवर्ड बदलना और नए उपयोगकर्ताओं के लिए पहले लॉग-इन पर अनिवार्य रूप से पासवर्ड रीसेट करना शामिल है।

**3. सुरक्षित विकास और होस्टिंग प्रथाएँ:**

i. डिजिटल भुगतान आदेशों पर सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) उपयोगिताओं के माध्यम से हस्ताक्षर किए जाते हैं।

ii. सुरक्षित और अद्यतन विकास पुस्तकालय और उपकरण का प्रयोग किया जाता है।

iii. नियमित रूप से कमियों का मूल्यांकन, ऑपरेटिंग सिस्टम पैचिंग और अवसंरचना अपडेट किए जाते हैं।

iv. एप्लिकेशन का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के दिशानिर्देशों के अनुसार आवधिक तौर पर सुरक्षा लेखापरीक्षा की जाती है।

v. सभी संचारों के लिए एसएसएल (SSL) एन्क्रिप्शन लागू किया जाता है; HTTP ट्रैफ़िक स्वचालित रूप से HTTPS पर पुनर्निर्देशित किया जाता है।

इन उपायों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता हैं कि ई-ग्रामस्वराज प्लेटफ़ॉर्म एक सुरक्षित वातावरण में संचालित हो और उपयोगकर्ता के डेटा अनधिकृत पहुँच, लीक या दुरुपयोग से बचे। सभी विकास और होस्टिंग की प्रक्रिया सुरक्षित सरकारी अवसंरचना पर किए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के आईटी सुरक्षा दिशानिर्देशों और व्यापक डिजिटल शासन ढांचे के अनुरूप हैं।

********

**अनुलग्नक-I**

**'तमिलनाडु में ई-गवर्नेंस सेवा' के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3762 जिसका उत्तर दिनांक 12.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक**

**वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर ई-ग्रामस्वराज को अपनाना**

| क्र सं | राज्य का नाम | ग्राम पंचायतें और समकक्ष की कुल संख्या | शामिल की गई ग्राम पंचायतें | ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतें और समकक्ष | ब्लॉक पंचायत और समकक्ष की कुल संख्या | शामिल की गई ब्लॉक पंचायतें | ऑनलाइन भुगतान करने वाली ब्लॉक पंचायतें | जिला पंचायत और समकक्ष की कुल संख्या | शामिल की गई जिला पंचायतें | ऑनलाइन भुगतान करने वाली जिला पंचायतें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 13328 | 13320 | 13002 | 660 | 660 | 645 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 2108 | 2108 | 426 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 11 |
| 3 | असम | 2662 | 2197 | 2183 | 191 | 191 | 191 | 30 | 29 | 27 |
| 4 | बिहार | 8054 | 8054 | 8046 | 534 | 534 | 531 | 38 | 38 | 38 |
| 5 | छत्तीसगढ | 11701 | 11684 | 11540 | 146 | 146 | 146 | 33 | 33 | 27 |
| 6 | गोवा | 191 | 191 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | गुजरात | 14656 | 14645 | 14006 | 248 | 248 | 248 | 33 | 33 | 33 |
| 8 | हरियाणा | 6226 | 6226 | 5980 | 143 | 143 | 134 | 22 | 22 | 22 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 3615 | 3615 | 3557 | 81 | 81 | 81 | 12 | 12 | 12 |
| 10 | झारखंड | 4345 | 4345 | 4335 | 264 | 264 | 263 | 24 | 24 | 24 |
| 11 | कर्नाटक | 5954 | 5954 | 5942 | 238 | 232 | 127 | 31 | 31 | 29 |
| 12 | केरल | 941 | 941 | 941 | 152 | 152 | 152 | 14 | 14 | 14 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 23011 | 23011 | 22987 | 313 | 313 | 311 | 52 | 52 | 52 |
| 14 | महाराष्ट्र | 27955 | 27940 | 27025 | 351 | 351 | 312 | 34 | 34 | 34 |
| 15 | मणिपुर | 3812 | 161 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 |

| क्र सं | राज्य का नाम | ग्राम पंचायतें और समकक्ष की कुल संख्या | शामिल की गई ग्राम पंचायतें | ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतें और समकक्ष | ब्लॉक पंचायत और समकक्ष की कुल संख्या | शामिल की गई ब्लॉक पंचायतें | ऑनलाइन भुगतान करने वाली ब्लॉक पंचायतें | जिला पंचायत और समकक्ष की कुल संख्या | शामिल की गई जिला पंचायतें | ऑनलाइन भुगतान करने वाली जिला पंचायतें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | मेघालय | 6817 | 0 | 0 | 2241 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | मिजोरम | 842 | 842 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | नगालैंड | 1289 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ओडिशा | 6794 | 6794 | 6794 | 314 | 314 | 314 | 30 | 30 | 30 |
| 20 | पंजाब | 13237 | 13234 | 10240 | 153 | 151 | 123 | 23 | 22 | 19 |
| 21 | राजस्थान | 11222 | 11219 | 10905 | 361 | 353 | 351 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | सिक्किम | 199 | 199 | 195 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 23 | तमिलनाडु | 12525 | 12525 | 12520 | 388 | 388 | 388 | 36 | 36 | 36 |
| 24 | तेलंगाना | 12991 | 12768 | 12648 | 572 | 540 | 514 | 32 | 32 | 32 |
| 25 | त्रिपुरा | 1194 | 1194 | 1175 | 75 | 75 | 75 | 9 | 9 | 9 |
| 26 | उत्तराखंड | 7795 | 7795 | 7757 | 95 | 95 | 95 | 13 | 13 | 13 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 57691 | 57691 | 57638 | 826 | 826 | 819 | 75 | 75 | 75 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 3339 | 3339 | 3339 | 345 | 345 | 345 | 22 | 21 | 21 |
| **कुल** | | **264494** | **252969** | **244235** | **8691** | **6402** | **6165** | **659** | **649** | **616** |

**अनुलग्नक-II**

**'तमिलनाडु में ई-गवर्नेंस सेवा' के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3762 जिसका उत्तर दिनांक 12.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक**

**संशोधित आरजीएसए के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी केंद्र का हिस्सा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खर्च की गई धनराशि का विवरण**

**रुपये (करोड़ में)**

| क्र. सं. | राज्य का नाम | 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जारी की गई धनराशि * | उपयोग की गई धनराशि ^ | जारी की गई धनराशि * | उपयोग की गई धनराशि ^ | जारी की गई धनराशि * | उपयोग की गई धनराशि ^ |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.35 | 2.52 | 59.66 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 108.69 | 132.45 | 72.09 | 89.97 | 70.00 | 77.94 |
| 3 | असम | 55.29 | 95.15 | 77.70 | 91.41 | 60.00 | 72.60 |
| 4 | बिहार | 33.37 | 70.07 | 25.00 | 51.81 | 0.00 | 78.05 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 29.52 | 17.57 | 22.25 | 16.50 | 34.13 |
| 6 | गोवा | 0.00 | 1.12 | 0.89 | 1.00 | 1.35 | 1.29 |
| 7 | गुजरात | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 15.48 |
| 8 | हरियाणा | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 8.84 | 5.00 | 8.24 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 60.65 | 37.49 | 19.31 | 69.30 | 27.21 | 43.13 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 40.00 | 57.75 | 65.00 | 98.61 | 65.00 | 57.89 |
| 11 | झारखंड | 0.00 | 18.44 | 31.00 | 25.95 | 0.00 | 26.56 |
| 12 | कर्नाटक | 36.00 | 25.67 | 20.00 | 39.01 | 16.25 | 49.52 |
| 13 | केरल | 30.40 | 23.13 | 10.00 | 37.04 | 10.00 | 32.65 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 28.00 | 145.17 | 32.17 | 74.16 | 40.00 | 96.92 |
| 15 | महाराष्ट्र | 37.84 | 129.03 | 116.12 | 194.26 | 80.00 | 134.81 |
| 16 | मणिपुर | 8.63 | 3.31 | 9.56 | 8.34 | 0.00 | 3.91 |
| 17 | मेघालय | 0.00 | 6.41 | 6.00 | 6.26 | 8.00 | 7.60 |
| 18 | मिजोरम | 14.27 | 25.48 | 10.00 | 15.64 | 12.00 | 22.69 |
| 19 | नगालैंड | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.46 | 10.00 | 18.28 |
| 20 | ओडिशा | 11.40 | 24.83 | 27.33 | 44.22 | 20.00 | 60.15 |
| 21 | पंजाब | 34.25 | 42.91 | 10.00 | 23.06 | 5.00 | 23.89 |
| 22 | राजस्थान | 0.00 | 32.41 | 21.72 | 40.12 | 15.00 | 30.88 |
| 23 | सिक्किम | 6.01 | 4.98 | 6.00 | 7.90 | 7.00 | 7.35 |
| 24 | तमिलनाडु | 25.42 | 8.53 | 0.00 | 25.98 | 45.00 | 63.79 |
| 25 | तेलंगाना | 0.00 | 3.19 | 20.00 | 20.47 | 0.00 | 9.05 |
| 26 | त्रिपुरा | 9.80 | 3.76 | 7.43 | 10.96 | 10.00 | 20.29 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 85.05 | 96.33 | 84.13 | 158.95 | 38.77 | 180.84 |
| 28 | उत्तराखंड | 42.48 | 57.15 | 64.67 | 66.29 | 50.00 | 63.72 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 4.28 | 50.89 | 33.69 | 57.32 | 52.68 | 82.68 |

| क्र. सं. | राज्य का नाम | 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जारी की गई धनराशि * | उपयोग की गई धनराशि ^ | जारी की गई धनराशि * | उपयोग की गई धनराशि ^ | जारी की गई धनराशि * | उपयोग की गई धनराशि ^ |
| | **संघ राज्य क्षेत्र** | | | | | | |
| 30 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0.00 | 1.03 | 0.79 | 1.28 | 2.12 | 1.18 |
| 31 | दादरा और नगर हेवेली एवं दमन और दीव | 1.14 | 4.50 | 1.00 | 0.38 | 1.00 | 0.00 |
| 32 | लद्दाख | 0.00 | 1.52 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | 0.58 |
| | कुल | **672.97** | **1128.25** | **800.17** | **1317.21** | **670.40** | **1385.75** |
| | अन्य आई.ए | 10.01 | 10.01 | 14.69 | 14.69 | 23.77 | 23.77 |
| | **कुल** | **682.98** | **1138.26** | **814.86** | **1331.90** | **694.17** | **1409.52** |

नोट: जहाँ कहीं व्यय जारी की गई राशि से अधिक है, वहाँ इसका कारण यह है कि राज्य के पास पिछले वर्षों से अव्ययित राशि पहले से उपलब्ध थी।

*केंद्र के हिस्से के रूप में जारी धनराशि

^ उपयोग की गई धनराशि में केंद्र के हिस्से के साथ-साथ राज्य का हिस्सा भी शामिल है।

***